राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांक: प- 2(157)कार्मिक/क-3/97 जयपुर, दि0 मई 30, 2001.

समस्त प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित).

परिपत्र

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस विभाग द्वारा राज्य सेवकों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति एवं विभागीय कार्यवाही हेतु प्रकरण राज्य सरकार और विभागाध्यक्षों को भेजे जाते हैं जिन पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है ।

राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जब कभी किसी राजसेवक के विरूद्ध विभागाध्यक्षों द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं किये जाने का निर्णय लिया जाना हो तो ऐसा निर्णय लिये जाने से पूर्व प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव को प्रस्ताव प्रस्तुत कर उनका अनुमोदन प्राप्त कर लिया जावे ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राज्य सरकार को अवगत करवाया गया है कि विभागाध्यक्षों द्वारा कई उचित प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी करने एवं विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने से इन्कार कर दिया जाता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार के निरन्तर फैलते रहने की सम्भावना प्रबल होती है एवं सरकार की स्वच्छ पारदर्शी एवं ईमानदार प्रशासन की छवि बिगड़ती है । अत: राज्य सेवकों के ऐसे प्रकरण जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी करने या विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु भेजे जाते हैं, के सम्बन्ध में भविष्य में निम्नलिखित प्रक्रिया निश्चित की जाती है :-

1.- जैसे ही कोई प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु विभागाध्यक्षों को भेजे जावें, तो संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा उस प्रस्ताव पर

...2/-

प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाकर स्वीकृति एक महिने के अन्दर-अन्दर प्रदान कर दी जावे । किसी भी परिस्थिति में अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव 3 महिने से अधिक विचाराधीन नहीं रखे जाने चाहिए । इसी प्रकार विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव प्राप्त होते ही उस राज्य सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ की जावे ।

2- जब कभी किसी राजसेवक के विरुद्ध किसी विभागाध्यक्ष द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं करने या विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करने का निर्णय लेने के पक्ष में यदि विभागाध्यक्ष हो तो ऐसा निर्णय लिये जाने से पूर्व उस प्रकरण को प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव को प्रस्तुत किया जावे, जो मामले पर विचार कर या तो यह निर्देश दें कि प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति/विभागीय कार्यवाही उस अधिकारी या उससे उच्च प्राधिकारी द्वारा जारी कर दी जावे/प्रारम्भ कर दी जावे या विभागाध्यक्ष के मत का समर्थन करते हुए प्रकरण मुख्य सतर्कता आयुक्त को विचार हेतु भेजेंगें । मुख्य सतर्कता आयुक्त उस प्रकरण की सम्पूर्ण स्थिति पर विचार कर निर्णय लेंगें एवं विभागाध्यक्ष को अवगत करायेंगें । ऐसे प्रकरणों में मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा लिए गये निर्णय अन्तिम होगें एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उसकी पालना की जायेगी ।

3- विभागीय कार्यवाही के प्रकरणों में मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए यह भी सलाह प्रदान करेंगें कि विभागीय कार्यवाही लघु शास्ती अधिरोपण हेतु जारी की जावे या दीर्घ शास्ती हेतु ।

4- जहां विभागीय कार्यवाही मुख्य सतर्कता आयुक्त की सलाह से प्रारम्भ की गई हो, उन प्रकरणों में बचाव पक्ष के अभिकथन प्राप्त होने के पश्चात् यदि सभी आरोप या उनमें से कुछ आरोपों

...3/-

को समाप्त करने की स्थिति हो तो मुख्य सतर्कता आयुक्त का भी परामर्श लिया जाना चाहिए ।

यह परिपत्र अखिल भारतीय सेवाओं एवं राज्य सेवाओं के अधिकारियों के प्रकरणों पर लागू नहीं होगा ।

30/05/2001

शासन सचिव

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

(1)- मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
(2)- सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
(3)- महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ।
(4)- निजी सचिव, कार्मिक मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
(5)- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
(6)- रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

/राव/